

अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के ओटर हेड पर जारी किया जाता है।

अनुभव प्रमाण पत्र

मैं, सहिपाल सिंह रावत (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम),
ग्राम प्रधान/सरपंच- ग्राम पंचायत राजापुर विकास
खंड: लखीमपुर जनपद बलिया
प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री श्रीमती
आमिता कुमारी यादव (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
रावेन्द्र कुमार यादव (पिता/मृता का नाम), निवासी
पिपरिया राजापुर (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका
आधार संख्या 5065, 5167, 0893 (आधार संख्या) है, ने हमारी
ग्राम पंचायत राजापुर में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/मैनिंग
और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक:

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत राजापुर
वि० ख० लखीमपुर-खोर्स
हस्ताक्षर और मुहर
ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम
(ग्राम पंचायत)